न्यायालय उपखण्ड अधिकारी पीसागंन (अजमेर)

पीठासीन अधिकारी — श्री समदरसिंह भाटी आर.ए.एस.

वाद संख्या — 24/19 पुनः दर्ज 76/2020

माधाराम पुत्र श्री राजू जाति गुर्जर निवासी ग्राम पगारा तह0 पीसागंन जिला अजमेर ...वादी

बनाम

राजस्थान सरकार जरिये विद्वान तहसीलदार, पीसांगन जिला अजमेर ...... प्रतिवादी

वाद पत्र अन्तर्गत धारा 88 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955
सपठित धारा 136 अन्तर्गत राजस्थान भू राजस्व अधिनियम 1956

उपस्थित :– श्री सुवालाल गुजंल – वादी
श्री रामसिंह गुर्जर – सरकार पेरोकार

–: निर्णय :– दिनांक 09.04.2021

संक्षिप्त में वाद में तथ्य इस प्रकार है कि वादी ने जरिये अभिभाषक के यह वादपत्र अन्तर्गत धारा 88 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 सपठित धारा 136 अन्तर्गत राजस्थान भू राजस्व अधिनियम 1956 प्रस्तुत वाद पत्र का संक्षिप्त विवरण इस प्रकार है कि ग्राम पगारा तहसील पीसागंन जिला अजमेर में अवस्थित खाता संख्या 23 नया 17 पुराना के खसरा सख्या 514/2007 कुल रकबा 0.01 है. व खाता संख्या 16 नया 18 पुराना के खसरा सख्या 1443, 299, 300, 361, 41, 42, 511, 514, 523, 536, 749, 750, 751, 752, 754, 756, 760, 763, 764, 86, 87, 88, 98 कुल किता 23 कुल रकबा 4.70 है. वादी की काश्तकारी खातेदारी की रही है। वादी का वास्तविक नाम माधाराम पुत्र राजू है परन्तु जमाबदीं में सहवन से वादी के घर के बोलते नाम महादेव पुत्र राजू दर्ज हो गया है जबकि वादी के समस्त दस्तावेजों आधार कार्ड , अकंतालिका , भामाशाह कार्ड ,राशन कार्ड आदि में वादी का वास्तविक नाम माधाराम पुत्र राजू दर्ज है तथा जमाबदीं में वादी के पिता राजू के निधन के पश्चात उनके विरासती नामान्तकरण संख्या 36 दिनांक 5.2.2008 में राजस्व कर्मचारियों द्वारा घर के बोलते नाम महादेव अकिंत कर दिया गया है। जिससे बैंक से लोन आदि लेने में परेशानी का सामना करना पडता है। अतः उक्त दुरूस्ती फरमावें।

वादपत्र दर्ज रजिस्टर किया जाकर प्रतिवादी को सम्मन जारी किये गये। सरकार का हित नहीं होने से उनका जवाब बंद किया गया। वादी के सहखातेदारों ने न्यायालय में उपस्थित होकर अपनी उक्त दुरूस्ती किये जाने पर अपनी सहमति व्यक्त की।

मैंने वादी अभिभाषक की बहस सुनी । पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेंजो का अध्ययन किय तो पाया कि वादी का वादपत्र स्वीकार योग्य होने से स्वीकार किया जाता है। **ग्राम पगारा तहसील पीसागंन जिला अजमेर में जमाबदीं सवंत 2064–67 में अवस्थित खाता संख्या 23 नया 17 पुराना के खसरा सख्या 514/2007 कुल रकबा 0.01 है. व खाता संख्या 16 नया 18 पुराना के खसरा सख्या 1443, 299, 300, 361, 41, 42, 511, 514, 523, 536, 749, 750, 751, 752, 754, 756, 760, 763, 764, 86, 87, 88, 98 कुल किता 23 कुल रकबा 4.70 है. में अंकित महादेव पुत्र राजू के स्थान पर महादेव उर्फ माधाराम पुत्र राजू का अकंन किया जावे। शेष यथावत।**

निर्णय आज दिनांक 09.04.2021 को मेरे [illegible] लिखवाया जाकर मेरे हस्ताक्षर व न्यायालय मुद्रा द्वारा खुले न्यायालय में सुनाया गया।

Signature Not Verified
Digitally signed by Samadar Singh Bhati
Date: 2021.09.06 15:15:36 IST
Reason: SelfAttested

उपखण्ड अधिकारी एवं पदेन सहायक कलेक्टर पीसांगन

उपखण्ड अधिकारी पीसांगन (अजमेर)